न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 299/2016

1 श्रीमती राजबाला पत्नी नेमीचन्द।
2 श्रीमती बनीता पुत्री नेमीचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रदीप कुमार पुत्र सहीराम।
2 राकेश कुमार पुत्र सहीराम।
3 मानसिंह पुत्र महादाराम मृतक।
3/1 गीता पत्नी मानसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3/2 प्रमोद पुत्री मानसिंह पत्नी रामसिंह।
3/3 कृष्णा पुत्री मानसिंह महेश समस्त जाति जाट निवासीगण भैसावता तहसील बुहान जिला झुंझुनू हाल निवासीगण वार्ड नम्बर 05 विकास नगर पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 सहीराम पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी
प्रदीप कुमार वगैरह बनाम मानसिंह वगैरह दावा
बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दावा संख्या
02/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयसिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के खिलाफ अदालत मातहत के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल रकबा 1.10 हैक्टेयर सरहद मौजा श्योपुरा तहसील चिड़ावा को पैतृक जमीन कथित कर दावा किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के दावा को दिनांक 18.05.2015 को निर्णित कर बहक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 डिक्री कर जमीन जैर बहस में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। अपीलांट संख्या 1 व 2 रेस्पोडेंट संख्या 3 की क्रमशः पुत्रवधु व पौत्री है। अपीलांट संख्या 1 के पति व अपीलांट्स संख्या 2 के पिता नेमीचन्द का देहान्त हो चुका है। जमीन जैर बहस पैतृक भूमि होने से अपीलांट संख्या 1 व 2 के क्रमशः पति व पिता का भी जन्म से हक हुआ। अपीलांट्स को दावा में पक्षकार नही बनाया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 3 के दो पुत्र संतान रेस्पोडेंट संख्या 4 व नेमीचन्द पैदा हुये है। नेमीचन्द के वारिस अपीलांट्स है। जमीन जैर बहस पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि होने से रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 तथा नेमीचन्द प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा हुआ। नेमीचन्द का 1/3 हिस्सा उतराधिकार में अपीलांट्स को मिला। निर्णय व डिक्री जैर बहस से अपीलांट्स प्रभावित है। निर्णय व डिक्री जैर बहस अपीलांट्स के हितों के विरूद्वपारित हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का जमीन जैर बहस में अपने पिता रेस्पोडेंट संख्या 4 के 1/3 हिस्से में हक बनता है और सम्पूर्ण जमीन मे 1/3 हक नही बनता है। अपीलांट्स को अपील पेश करने का हक है। विचाराधीन निर्णय के विरूद्व अपीलांट ने धारा 5 व धारा96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में अंकित विवादित भूमि महादाराम की थी। विचारण न्यायालय में महादाराम के पौत्र सहीराम के पुत्रों ने अधुरा सजरा खानदान प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विवादित भूमि महादाराम की होना एवं उसके पश्चात मानसिंह की होना निर्विवाद है। मानसिंह के दो पुत्र सहीराम व नेमीचन्द थे। विचारण न्यायालय में वादीगण ने नेमीचन्द के वारिसान अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना तथ्यों को छुपाकर विचाराधीन डिक्री प्राप्त की है। मानसिंह की विरासत के आधार पर अपीलांट का वादीगण के समान विवादित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हक हिस्सा है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही थे। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अत धारा 96 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जावें। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जावें। अपील अपीलांट स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के अतिरिक्त मानसिंह की अन्य भूमियां भी थी। मानसिंह ने पारिवारिक विभाजन कर खसरा नम्बर 376/261 रकबा 0.94 हैक्टेयर नेमीचन्द के हिस्से में रखकर नेमीचन्द के जीवनकाल में ही विक्रय कर राशि नेमीचन्द को दे दी थी। अपीलांट का कोई हक हिस्सा विचाराधीन भूमि में नही है। विचाराधीन निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत में पारित किया गया है। रेस्पोडेंट को हक हिस्से अनुसार 1/3 हिस्सा दिया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2021(1) पेज 246 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में अंकित विवादित भूमि महादाराम की थी। विचारण न्यायालय में महादाराम के पौत्र सहीराम के पुत्रों ने अधुरा सजरा खानदान प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विवादित भूमि महादाराम की होना एवं उसके पश्चात मानसिंह की होना निर्विवाद है। मानसिंह के दो पुत्र सहीराम व नेमीचन्द थे। विचारण न्यायालय में वादीगण ने नेमीचन्द के वारिसान अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना तथ्यों को छुपाकर विचाराधीन डिक्री प्राप्त की है। मानसिंह की विरासत के आधार पर अपीलांट का वादीगण के समान विवादित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

धारा 6 के अनुसार हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तथ्य पर निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुणावगुण पर विवेचन कर ही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही थे। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अत धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा अपील की बहस में कथित तथ्यों का अंकन नही किया गया है। मानसिंह द्वारा पारिवारिक विभाजन किये जाने, नेमीचन्द की भूमि विक्रय कर राशि नेमीचन्द को दिये जाने का कोई साक्ष्य अपील स्तर पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय में पैतृक भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 13-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर